SMALL SCALE INDUSTRY:

1. Common facility centres'proto type Development Centres for lock, leather suit-cases and needle making industries have been set up at Howrah and Aligarh.

2. Training is imparted to entrepreneurs under District Industry Centres. 6051 persons have been trained under Entrepreneurship Development Programme and Self employment Scheme for UN-employed Educated Youth. Training is also imparted to artisans under TRYSEM. 6888 minority artisans have been trained during January, 1990 to September, 1991.

KHADI & VILLAGE INDUSTRIES:

Funds amounting to Rs. 30.17 crores have been provided to all States Khari & Village Industry Boards for implementing special programmes for rural artisans amongst minorities.

CREDIT SUPPORT:

For availability of credit, 213 branches have been opened in minority concentration districts and 198 additional centres have been identified.

REDRESSAL OF GRIEVANCES:

Instructions have been issued to all State Govts/UT Admns. for taking steps to deal with problems relating to encroachment of WAKF properties/graveyards etc. for redressal of grivances on an expeditious and satisfactory basis.

**वक्फ की सम्पत्ति पर गैर-कानूनी कब्जा**

1874. **डा. अबरार अहमद :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वक्फ की सम्पत्तियों पर तेजी से नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं और सरकार ऐसे कब्जों को हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ख) वक्फ की ऐसी सम्पत्तियों और भूमि का ब्यौरा क्या है जो कि मंत्रालयों सहित केन्द्रीय सरकार, इसके विभागों और इसके निकायों के कब्जे में है और जिनका नाममात्र का किराया दिया जाता है अथवा वह भी नहीं दिया जाता है;

(ग) राजस्थान में वक्फ की कितनी सम्पत्ति राजस्थान सरकार अथवा इसके विभागों के कब्जे में है और उसका कितना-कितना किराया कब से बाकी है तथा उसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र ही एक विधान बनाना चाहती है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** (क) (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

**अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाना**

1875. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी/** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** (क) से (ग) जी, हां। यह मामला विचाराधीन है।

---